संख्याः 13 /2016/ 1198 /12-2-2016-बजट.8/2008

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 06 मई, 2016

विषयः जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम की योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः शो0 एवं मृ सर्वे0/16/वित्तीय स्वीकृति/2016-17 दिनांक 07 अप्रैल, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-आयोजनागत-101-मृदा संरक्षरण तथा परीक्षण-05-जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 50629 हजार (रूपये पांच करोड छः लाख उन्नतीस हजार मात्र) के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि रूपये 25314.5 हजार (रूपये दो करोड तिरपन लाख चौदह हजार पांच सौ मात्र) की स्वीकृति नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

3. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाईनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

4. मशीनों/उपकरणों का क्रय स्टोर पर्चेज रूल्स तथा संगत शासनादेशों तथा नियमों के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी कृषि निदेशक की होगी।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-आयोजनागत-101-मृदा संरक्षरण तथा परीक्षण-05-जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्याः 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं। इसकी प्रति विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित है। अतः इसमें निहित निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
(इन्द्रदेव पटेल)
विशेष सचिव।

संख्याः 13 /2016/ 1198 (1)/12-2-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, (शोध एवं मृदा सर्वे0), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. संबंधित कोषाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(इन्द्रदेव पटेल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या: 13 /2016/1198/12-2-2016-बजट.8/2008 दिनांक 06 मई, 2016 का संलग्नक

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद	वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत वित्तीय हेतु प्रस्ताव
02-मजदूरी	4600.0	2300.0
29-अनुरक्षण	3675.0	1837.5
42-अन्य व्यय	5354.0	2677.0
43-सामग्री सम्पूर्ति	36000.0	18000.0
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1000.0	500.0
योग:	**50629.0**	**25314.5**

(रूपये दो करोड तिरपन लाख चौदह हजार पांच सौ मात्र)

(इन्द्रदेव पटेल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।